

पत्रावली आग कांप कोर्ट (दावसरी) में पेश हुई।
अपीलागट द्वारा प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया गया
प्रस्तुत नामांक. 1423 का अवलोकन करने पर पता
गया कि उपर नामांककरण पर राम पेचायत का
आदेश दिनांक 20.5.12 सही किया गया है। अपीलागट
ने प्रस्तुत अपील में पिता हक त्याग का उल्लेख
किया है उसके सम्बन्ध में अपीलागट सक्षम न्यायालय
में वाद प्रस्तुत कर अनुसोप प्राप्त कर लेना है।
अपील अपीलागट आधारहीन होने के स्वरिप की
जाती है। पत्रावली कोशल सुगर हेकर नमकर के
कम हो लमा दारिद्र्य दफतर हो।

विधि आग दिनांक 21.5.18 को कोर्ट
दावसरी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदकासरी (उ. उ.)